''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 144] रायपुर, सोमवार, दिनांक 10 जून 2002—ज्येष्ठ 20, शक 1924

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 4 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2002

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्र. 23 सन् 1965) को संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

चूंकि राज्य विधान सभा का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वह तत्काल कार्यवाही करें.

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (क्र. 4 सन् 2002) है.

   (2) यह छत्तीसगढ़ राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्र. 23 सन् 1965) का अस्थायी रूप से संशोधन किया जाना.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्र. 23 सन् 1965) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा 3 में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी रहेगा.

धारा 8 की उपधारा (ख) के पश्चात् अंतः स्थापन.

3. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात :—

"खख—ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं संचालित करना, जो राज्य शासन द्वारा सौंपी जाएं."

रायपुर

दिनांक 8-6-2002

राज्यपाल, छत्तीसगढ़.

CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 4 of 2002)

CHHATTISGARH MADHYAMIK SHIKSHA (AMENDMENT) ORDINACE, 2002

An ordinance to amend the Chhattisgarh Madhyamik Shiksha Adhiniyam, 1965 (Act No. 23,1965).

Promulgated by the Governor in the Fifty third Year of the Republic of India.

Whereas the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title and Commencement.

1. (1) This ordinance may be called the Chhattisgarh Madhyamik Shiksha (Amendment) Ordinance 2002 (No. 4 of 2002).

(2) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

Shiksha Adhiniyam, 1965 (No. 23 of 1965) to be temporarily amended.

2. During the operation of this ordinance, the Chhattisgarh Madhyamik Shiksha Adhiniyam, 1965 (No. 23 of 1965) shall have effect subject to the amendments specified in Section 3.

Insertion after sub-section (b) of Section 8.

3. After sub-section (b) of Section 8 of the Principal Act the following sub-section shall be inserted namely :—

"(bb) to conduct such entrance examinations for professional courses which may be entrusted by the State Government."

Raipur

Dated 8-6-2002

Governor of Chhattisgarh.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.